नर्मदा तटीय वन

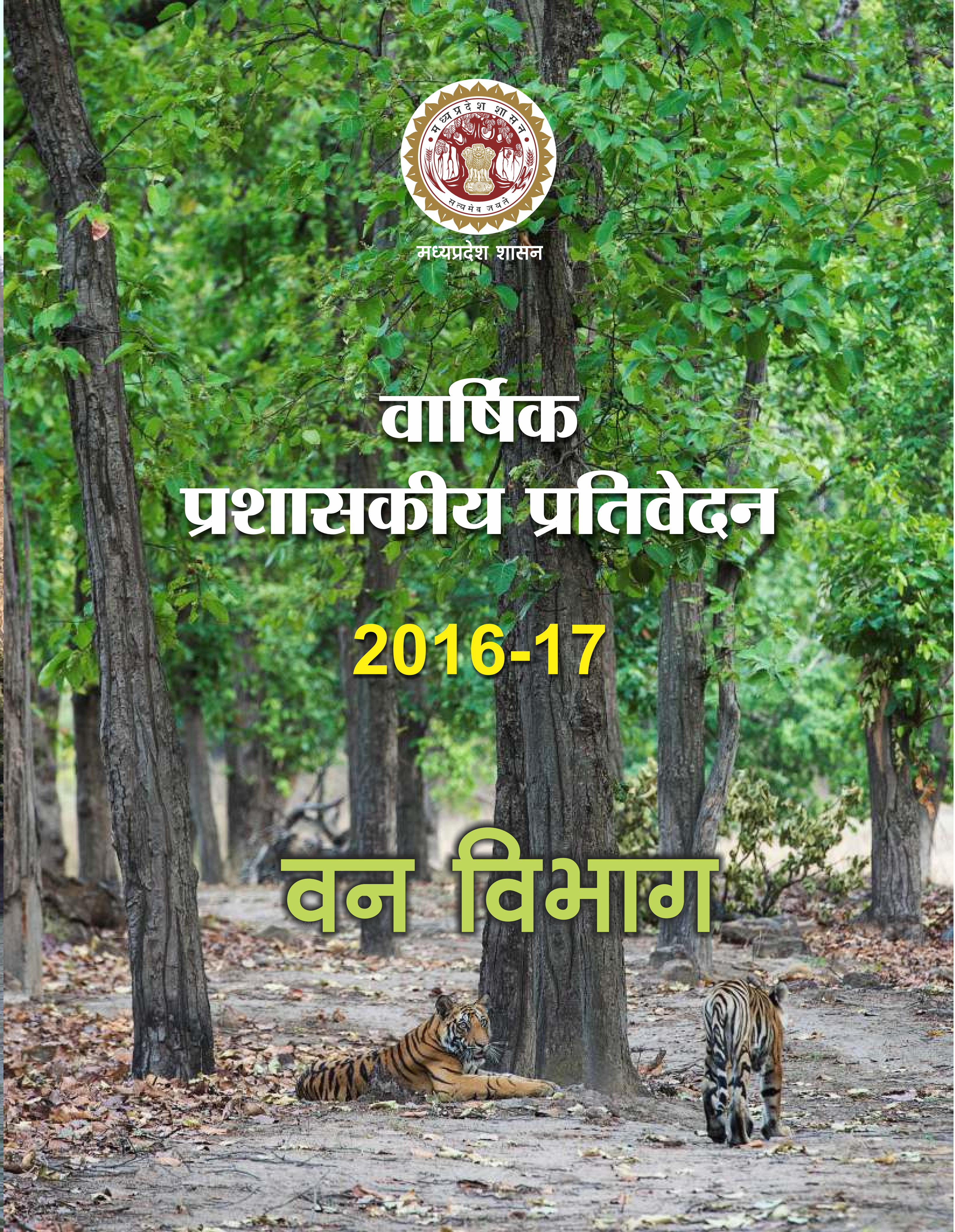

मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2016-17

वन विभाग

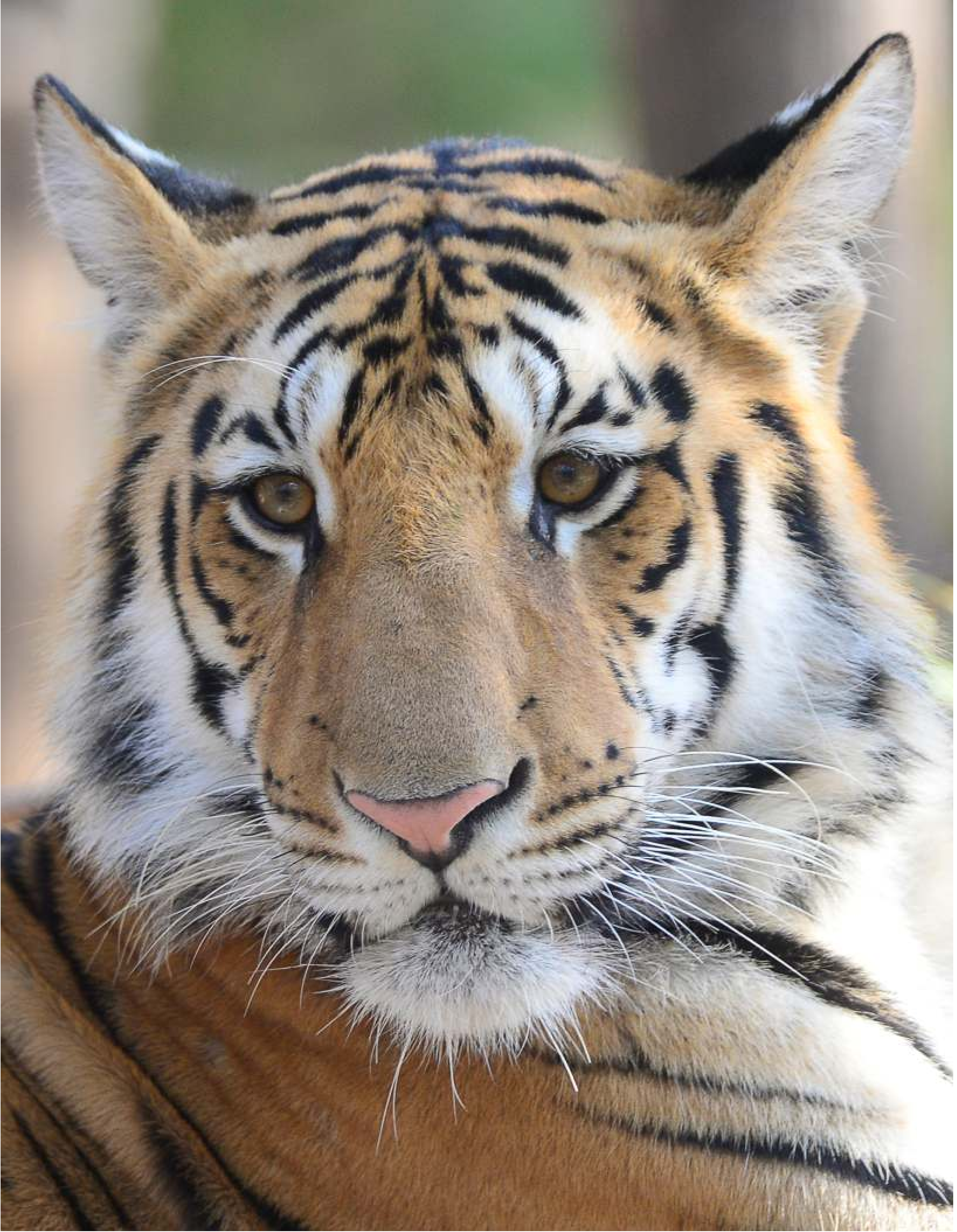

भाग–1

अध्याय एक

1.1 सामान्य

भारत के हृदय स्थल के रुप में स्थित मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता विशेषकर वन एवं वन्यप्राणियों की विविधता के लिये जाना जाता है। मृदा और जल के संरक्षक के रुप में वनों की महत्ता अद्वितीय है। मध्यप्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र वनाच्छादित होने के कारण ही कृषि एवं कृषि पर आधारित जनसंख्या का पोषण कर पाती है। यहॉ उष्ण कटिबंधीय शुष्क, पतझड़ वाले सागौन,मिश्रित तथा साल के वन है। मंडला, डिण्डोरी, शहडोल तथा बालाघाट में साल वन हैं चंबल क्षेत्र ग्वालियर, शिवपुरी,भिण्ड तथा दतिया में करधई तथा झाडीदार वन है, शेष क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन वन है। वनों से लकड़ी के अलावा बांस एवं प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की लघुवनों एवं औषधीय मिलती है। प्रदेश औषधीय पौधों के समृद्ध संसाधनों से भी परिपूर्ण है। चूंकि वनों में तथा वनों की सीमा के आस–पास रहने वाले आदिवासी एवं अन्य ग्रामीण जनता का बहुत बड़ा भाग वनों पर निर्भर है, अतः वन विभाग का प्रमुख दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरह प्रबंधन करना है कि न सिर्फ ग्रामवासियों को वनों से जीविकोपार्जन का स्त्रोत निरंतर बना रहे, बल्कि प्रबंधन में उनकी भागदारी भी सशक्त हो और वन एक प्राकृतिक धरोहर के रुप में संवहनीय,संरक्षित एवं संवर्द्धित संसाधन के रुप में विकसित करता रहे।

मध्यप्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 से ही वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ हो गया था और संभवतः मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां भारत की प्रथम वन नीति 1894 से ही वर्किंग प्लान बनाने का कार्य प्रारंभिक स्तर पर चालू किया गया था। इस गौरवमय परम्परा को आगे बढ़ाने में आज भी वन विभाग गौरवान्वित महसूस करता है।

वर्तमान में वन विभागों में शासन स्तर पर वनमंत्री की सहायता अपर मुख्य सचिव, सचिव, विशेष कर्तव्य अधिकारी, अपर सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव के दल द्वारा की जाती है। वन विभाग अधीन गतिविधियां विभिन्न शाखा प्रमुखों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनके मध्य समन्वय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) करते हैं।

1.1.1 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)** द्वारा प्रदेश के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। साथ ही वे अन्य विभाग प्रमुख एवं विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल, उपक्रम एवं संस्थाओं के साथ समन्वय करते हैं।

1.1.2 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)** द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर पूरे प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण किया जाता है।

1.1.3 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख)** द्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण तथा वन भू–अभिलेख का संधारण किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा के कैडर प्रबंधन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई 2015 के अनुक्रम में राज्य शासन के निर्देशानुसार कई महत्वपूर्ण शाखाओं का नियंत्रण प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी करते हैं।

1.1.4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा कार्य आयोजनाओं के प्रावधानों के अनुसार कूपों से इमारती लकड़ी जलाऊ, बॉस एवं खैर का वन वर्धन के अनुसार विदोहन एवं व्यापार किया जाता है तथा वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निस्तार व्यवस्था की जाती है। विभाग के राजस्व लक्ष्य की पूर्ति का मुख्य दायित्व इन्हीं का है।

1.1.5 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी तथा संयुक्त वन प्रबंधन/वन विकास अभिकरण) द्वारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वन क्षेत्रों का विस्तार एवं वन के प्रबंधन में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

1.1.6 विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा एवं विकास) द्वारा विभाग अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं वन विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश दिया जाता है।

1.1.7 विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाएं

1. **मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम** – राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. राज्य वन विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहूमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।

2. **मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ** – मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया। प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. **राज्य वन अनुसंधान संस्थान** – राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है।

4. **जैव विविधता बोर्ड** – राज्य शासन द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2005 से किया गया जिसे अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2014 से वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से संबद्ध किया गया है। बोर्ड की मुख्य भूमिका जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित एवं सम्यक वितरण सुनिश्चित करना है।

5. **मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड** – वन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12 जुलाई, 2005 को म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया। बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जाता है।

6. **मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन** – मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 03 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश में बांस आधारित उद्यमिता एवं विकास योजनाओं के तहत नर्सरी विकास, बिगड़े बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों का दक्षता निर्माण, कार्यशाला तथा बांस बाजार का आयोजन किया जा रहा है।

1.2 विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

वन विभाग का दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है, ताकि वनों की संवहनीयता बनाए रखते हुए उनसे वन उत्पाद प्राप्त किया जा सके, स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें, तथा वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति की जा सके। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए वन विभाग की निम्नानुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं –

1. राज्य में वनों की जैव विविधिता का संरक्षण, जिसमें वन्य पशुओं एवं वनस्पति का संरक्षण सम्मिलित है।
2. राज्य के वन, जिसमें रोपण सम्मिलित हैं, उनका संरक्षण, संवर्धन, सीमांकन, विकास, गैर–वानिकी उपयोग, वनोपज निकासी, चराई एवं अन्य निस्तार सुविधाओं का निर्धारण।
3. संयुक्त वन प्रबंध के संबंध में विभिन्न अधिनियम तथा नियमों के अनुसार नीति निर्धारण।
4. जनहानि, पशु हानि के संबंध मे नियमन तथा हिंसक हुए वन पशुओं के आखेट के लिये नियम।
5. वन तथा वन्य प्राणी विषयक।
6. गैर–वानिकी क्षेत्रों में वानिकी गतिविधियों का विस्तार।
7. भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा और कार्यपालिक, लिपिकीय एवं अन्य विविध सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनसे विभाग का संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर)।

   उदाहरणार्थ :–नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्ति, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

1.3 प्रशासित अधिनियम

1. **भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 69/1980)** – उक्त अधिनियम वनों की उपज की अभिवहन और इमारती लकड़ियों तथा वन–उपज पर उगाहने योग्य शुल्क से संबंधित विधि के समेकन के लिए अधिनियम – उक्त अधिनियम मध्य प्रदेश में 01 नवम्बर 1956 से प्रभावशील है। ग्राम वन एवं संरक्षित वन के संवर्धन एवं प्रबन्धन में ग्राम वन समितियों की भूमिका को और सशक्त एवं प्रभावी किये जाने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम अन्तर्गत मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम 2015 तथा मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम 2015 बनाकर दिनांक 04 जून 2015 से प्रभावशील किया गया है।
2. **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53/1972)** – उक्त अधिनियम देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरण में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वन्यप्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक

विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। यह अधिनियम 09 सितम्बर, 1972 से प्रभावशील है।

3. **म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13/1984)** – उक्त अधिनियम वनों एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिये–आरा मिलों की स्थापना और प्रवर्तन – संक्रिया तथा काष्ठ चिरान के व्यापार का लोक हित में विनियमन करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम। अधिसूचना क्रमांक 3415–X–3–83 दिनांक 15 दिसम्बर 1983 द्वारा अध्यादेश क्रमांक 11/1983 प्रवृत किया गया था जिसका स्थान मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 13/1984 ने ग्रहण किया। अधिनियम क्रमांक 13/1984 को भूतलक्षी प्रभाव देकर 15 दिसम्बर, 1983 से ही प्रवृत किया गया।

4. **वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (क्रमांक 69/ 1980)** – उक्त अधिनियम वनों के संरक्षण के लिये और उससे जुड़े मामलों के लिए या उसके सहायक या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम। यह अधिनियम दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 से प्रभावशील है।

5. **म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969** – उक्त अधिनियम इमारती लकड़ी को छोड़कर समस्त वन उपज के व्यापार विनियमन हेतु है, जो 01 नवम्बर, 1969 से प्रभावशील है।

6. **म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964)** – उक्त अधिनियम तेंदूपत्ता के व्यापार को लोकहित में विनियमन करके और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु है। यह अधिनियम 28 नवम्बर, 1964 से प्रभावशील है।

7. **म.प्र. वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण अधिनियम, 1973** – उक्त अधिनियम मध्य प्रदेश में वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टों का प्रतिसंहरण करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिये है। यह अधिनिमय 01 अक्टूबर, 1973 से प्रभावशील है।

8. **म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10/ 2001)** – उक्त अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य में निजी और राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन तथा उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने और सुकर बनाने हेतु है। यह अधिनियम 12 अप्रैल, 2001 से प्रभावशील है।

9. **जैवविविधता अधिनियम, 2002** – उक्त अधिनियम जैविक संसाधनों और/या सहयुक्त पारंपरिक जानकारी तक अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण तक पहुंच की पक्रिया और अनुसंधान के लिए जैव उपयोग हेतु है। यह अधिनियम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 21, नवंबर, 2014 से संशोधित होकर दिनांक 21, नवंबर, 2014 से प्रभावशील है।

––––––